झारखण्ड सरकार राजपत्र

खण्ड–III

झारखंड सरकारः

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

संख्या - 520(6) दिनांक 29.7.2020।

जीएसआर .... ह्यूमन इम्युनो–डिफीसिएन्सी वायरस एवं एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 (2017 के केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 49 की सह–पठित धारा– 23, 24 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग और अन्य सभी शक्तियां, जो इस संबंध में सक्षम हो, झारखंड के राज्यपाल एतद् द्वारा लोकपाल की नियुक्ति,. नियम और शर्तें, योग्यता और जांच के तरीके प्रदान करने के लिए निम्नलिखित नियम गठित करते हैं: –

नियम

1.लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ –

(1) इन नियमों को झारखंड ह्यूमन इम्यूनो–डिफीसिएन्सी वायरस एवं एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम (लोकपाल और कानूनी कार्यवाही) नियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2.परिभाषाएँ– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) **"अधिनियम"** का अर्थ है ह्यूमन इम्युनो–डिफीसिएन्सी वायरस और एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 (2017 का केंद्रीय अधिनियम 16);

(ख) **"सक्षम प्राधिकार"** का अर्थ है, जब तक कि अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाता है, केंद्र सरकार के मामले में, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और झारखंड सरकार के मामले में झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी;

(ग) **"उच्च बोझ वाले जिले"** का अर्थ है कि समय–समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिसूचित जिले;

(घ) **"लोकपाल"** का अर्थ अधिनियम की धारा 23 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या नामित अधिकारी से है;

(ड़) **"राज्य सरकार"** का अर्थ स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड से है; तथा

(च) इन नियमों में जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है और उन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम में परिभाषित है, उनके लिए अधिनियम में प्रयुक्त अर्थ से होंगे।

3.**एचआईवी/एड्स ए0आर0टी और अवसरवादी संक्रमण प्रबंधन की नैदानिक सुविधाओं का प्रावधान** -- झारखण्ड राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या अनुमण्डलीय अस्पताल या जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल) में सभी नागरिकों को एचआईवी/एड्स और अन्य अवसरवादी संक्रमणों से संबंधित निःशुल्क नैदानिक सेवाएं प्रदान करेगी। झारखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा जारी दिशा--निर्देशों के अनुसार सभी एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर एआरटी दवाएं मुफ्त में प्रदान की जाएंगी।

4.**लोकपाल की नियुक्ति और अधिकार क्षेत्र** -- राज्य सरकार झारखंड के निम्नलिखित पाँचों प्रमण्डलीय के आयुक्तों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के लोकपाल के रूप में नामित करेगीः--

पलामू प्रमण्डल (गढ़वा, पलामू, लातेहार)
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल (चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़)
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल (रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी)
कोल्हान प्रमण्डल (पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला--खरसावां, पूर्वी सिंहभूम)
संथाल परगना प्रमण्डल (देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज)

बशर्ते कि राज्य सरकार उसे कानूनी और विधायी मामलों के विभाग से कानूनी मुद्दों पर सहायता प्रदान करेगी जो उसके काम के दौरान उत्पन्न हो सकती है, यदि ऐसा अनुरोध किया गया होः

बशर्ते कि राज्य सरकार लोकपाल की नियुक्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर क्षमता निर्माण प्रदान करेगी।

5.**लोकपाल द्वारा शिकायतों की जांच करने का तरीका** --

(क) लोकपाल अधिनियम के तहत की गई शिकायतों की जांच करते समय एक उद्देश्यपूर्ण और स्वतंत्र तरीके से कार्य करेगें;

(ख) अधिनियम के तहत शिकायतों की जांच करते समय, लोकपाल साक्ष्य के किसी भी नियम से बाध्य नहीं होगा और ऐसी प्रक्रिया का पालन कर सकता है जैसा कि वह उचित मानता हो;
(ग) लोकपाल के समक्ष पूछताछ में कोई जिरह की अनुमति नहीं दी जाएगी;
(घ) लोकपाल न्याय के हितों में, विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है, जिसमें संरक्षित व्यक्ति और एचआईवी के प्रति संवेदनशील व्यक्ति, और एचआईवी और एड्स, सार्वजनिक स्वास्थ्य या स्वास्थ्य वितरण प्रणाली के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति शामिल हैं;
(ड़) लोकपाल को पक्षकारों को सुने बिना चिकित्सा आपातकाल के मामलों में अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति होगी;.
(च) लोकपाल के पास आदेश पारित करने की शक्ति होगी, जिसमें उल्लंघन, परामर्श और सामाजिक सेवा आदि को वापस लेना और सुधारना शामिल है;
(छ) शिकायतकर्ता को की गई कार्यवाही की सूचना लोकपाल उपलब्ध कराएगी; तथा
(ज) लोकपाल द्वारा पारित आदेश के आलोक में न्यायिक समीक्षा प्राप्त करने के अपने अधिकार की शिकायत के लिए लोकपाल पक्षकारों को सूचित करेगें।

6.लोकपाल द्वारा रिकार्ड बनाए रखने का तरीका –

(1) **लोकपाल** –

(क) शिकायत प्राप्त होने पर तुरंत भौतिक या कम्प्यूटरीकृत रूप में उस उद्देश्य के लिए पूरी तरह से बनाए गए रजिस्टर में एक अनुक्रमिक अद्वितीय शिकायत संख्या निर्दिष्ट करके इसका रिकार्ड रखेंगे;
(ख) शिकायत मिलने पर, शिकायतकर्ता को एसएमएस या ई–मेल द्वारा अद्वितीय (Uniquc) शिकायत नंबर भेजकर, उन्हें जहाँ उपलब्ध हो, सूचित करेंगे;
(ग) शिकायत का समय और शिकायत पर कार्रवाई रजिस्टर में दर्ज करेंगे; तथा
(घ) डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज करेंगे ।

(2) लोकपाल, अधिनियम की धारा– 11 के प्रावधानों के अनुसार डेटा सुरक्षा उपायों का अनुपालन करेंगे ।

7. लोकपाल को शिकायत करने की प्रक्रिया–

(1) संबंधित लोकपाल के क्षेत्राधिकार में हुए कथित उल्लंघन के लिए तीन महीने के अन्दर कोई भी व्यक्ति उस लोकपाल के पास शिकायत कर सकता है;

बशर्ते कि लोकपाल लिखित में दर्ज किए जाने के कारणों के लिए शिकायत की समय सीमा को तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं, अगर वह संतुष्ट है कि परिस्थितियों ने शिकायतकर्ता को निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत करने से रोक दिया।

(2) लोकपाल के समक्ष सभी शिकायतें लिखित रूप में इन नियमों से संबंधित परिशिष्ट में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार करनी होगी;

बशर्ते कि जहां कोई शिकायतकर्ता लिखित में शिकायत नहीं कर सकता है, लोकपाल शिकायतकर्ता को लिखित रूप से शिकायत करने के लिए सभी उचित सहायता प्रदान करेंगे।

(3) चिकित्सा आपातकाल के मामलों में, लोकपाल या उसके सहायक शिकायतकर्ता के कथित उल्लंघन के स्थान पर या किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर जाकर शिकायत के लिखित दस्तावेज को सक्षम कर सकते हैं।.

(4) लोकपाल को व्यक्तिगत रूप से, डाक के माध्यम से, टेलीफोन पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप में लोकपाल की वेबसाइट के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो सकती है;

बशर्ते कि लोकपाल की नियुक्ति के सात दिनों के भीतर झारखण्ड राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी, लोकपाल की एक वेबसाइट स्थापित करेगी।

8.लोकपाल के संबंध में जानकारी देना –

(1) लोकपाल की नियुक्ति के तीस दिनों के भीतर, राज्य सरकार के अधीन उपयुक्त प्राधिकार लोकपाल के कार्यालय के बारे में सूचना का प्रसार करेगा, जिसमें लोकपाल का अधिकार क्षेत्र, भूमिका, कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं, और जिस तरीके से लोकपाल को शिकायत की जा सकती है, शामिल हैं।

(2) इस तरह के प्रसार को विशेष रूप से संरक्षित व्यक्तियों, स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों, कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरणों और नागरिक प्राधिकरणों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

9. छद्म नाम दर्ज करने और कानूनी कार्यवाही में पहचान को गोपनीय रखने की प्रक्रिया –

(1) किसी भी कानूनी कार्यवाही में, जहां एक न्यायालय अधिनियम के धारा 34 के उप –धारा (1) के खंड (ए) के अनुसार, एक आवेदन पर किसी संरक्षित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्याय के हितों में कार्यवाही या उसके किसी भी हिस्से का संचालन ऐसे संरक्षित व्यक्ति की पहचान को गोपनीय रखकर किया जाएगा, न्यायालय के रजिस्ट्रार इसमें शामिल सभी पक्षों को निर्देश देंगे;

(i) अदालत के समक्ष संबंधित पक्षों का पूरा नाम, पहचान और पहचान का विवरण रखने वाले दस्तावेजों की एक प्रति, जो एक सीलबंद कवर में हो, रजिस्ट्रार के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा; तथा

(ii) कार्यवाही में अन्य पक्षों पर संबंधित पक्षों का पूरा नाम, पहचान और पहचान का विवरण देने वालों दस्तावेजों की एक प्रति को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि संबंधित पक्षों का पूरा नाम और पहचान गोपनीय रखा जाएगा।

(2) रजिस्ट्रार न्यायालय के समक्ष दायर दस्तावेजों में कानूनी कार्यवाही में शामिल व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए छद्म शब्द इस प्रकार प्रदान करेगा कि कानूनी कार्यवाही में शामिल संरक्षित व्यक्ति की पहचान और पहचान का विवरण गोपनीय रखा जाएगा।

(3) रजिस्ट्रार सीलबंद दस्तावेजों को अदालत के समक्ष सुनवाई की पहली तारीख को पेश करेगा, जब कानूनी कार्यवाही अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो, और यदि न्यायालय को आवश्यक लगे ।

(4) कानूनी कार्यवाही में शामिल संरक्षित व्यक्ति की पहचान और उनके पहचान संबंधी विवरण को न्यायालय द्वारा बोर्ड के मामले में सूचीबद्ध करने, अंतरिम आदेशों, अंतिम निर्णय सहित कानूनी कार्यवाही के संबंध में न्यायालय द्वारा उत्पन्न सभी दस्तावेजों में, छद्म नाम से प्रदर्शित किया जाएगा।

(5) कानूनी कार्यवाही में शामिल संरक्षित व्यक्ति की पहचान और पहचान का विवरण किसी भी व्यक्ति या उनके प्रतिनिधियों सहित सहायक और कर्मचारियों द्वारा प्रकट नही किया जाएगा।

अपवाद: जहां न्याय के हित में, संरक्षित व्यक्ति का नाम और पहचान किसी तीसरे पक्ष को प्रकट करने की आवश्यकता हो, उसे केवल अदालत के एक आदेश द्वारा अनुमति दी जाएगी।

(6) इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रूप में उपर्युक्त कानूनी कार्यवाही के संबंध में किसी भी मामले को छापना या प्रकाशित करना, केवल तभी कानूनी होगा, जब वैधानिक कार्यवाही में पार्टियों की पहचान को छुपाकर ऐसा किया जाए।

(7) अधिनियम के तहत किसी भी कानूनी कार्यवाही से पहले, न्यायालय अधिनियम की धारा-11 के अनुसार डेटा सुरक्षा उपायों का पालन करेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से ।

(डॉ नितीन कुलकर्णी)
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-06/पी0 (विविध)- 14/2019- 520(6)   राँची, दिनांक- 29.7.2020

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि राजपत्र की 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक—06 / पी0 (विविध)— 14 / 2019— 520(6) राँची, दिनांक— 29.7.2020

प्रतिलिपिः माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड, राँची / सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव / सभी विभागीय प्रधान सचिव / सभी विभागीय सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / महानिदेशक, नेशनल एड्स कन्ट्रोल संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार / सभी उपायुक्त / अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची / परियोजना निदेशक, झारखण्ड राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, राँची / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड / सभी विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 29/7/2020

सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड सरकार राजपत्र, दिनांकः ....

परिशिष्ट [नियम देखें 7 (2)]

पर्चा लोकपाल को शिकायत कर रही है के लिए

1.घटना की तिथि................

2.घटना स्थान ....

3.घटना का विवरण ....

4.घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था ....

शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर / अँगुठा छाप *

नामः

दिनांकः

मोबाइल नंबर / ई—मेल / फैक्स / पता

केवल सरकारी उपयोग के लिएः

अद्वितीय शिकायत संख्याः__________

*जहाँ शिकायत टेलीफोन पर प्राप्त हुआ हो और लोकपाल द्वारा लेखबद्ध किया जाना हो, लोकपाल फार्म पर हस्ताक्षर करेगे।

(हस्ताक्षर) 29/7/2020

सरकार के प्रधान सचिव ।